3 4 -2000-10 लाख फा.

APP
Crli

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

बाबूलाल बनाम राज. सरकार

मा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 नं. 82 सन 2025

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तलबी अप्रार्थी से 01 जर्ये नोटिस सम्मन से की जाकर एवं वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई तहरीर जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 17.10.25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	17.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तलबी अप्रार्थी से 01 जर्ये नोटिस सम्मन से की जाकर एवं वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई तहरीर जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 12.11.25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	12/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप./ तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पत्रांक रा.अ./25/9690 दिनांक 21.10.25 मौका रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.प., तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एवं विभिन्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रा.प. अन्तर्गत धारा 128 रा.लै.रे. एक्ट (पत्थलगढ़ी) आदेश स्वीकार योग्य होने से आदेश स्वीकार किया जाता है।	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः— 82 / 2025
प्रकरण दायर दिनांकः—08.07.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः—12.11.2025

उनवान

01. बाबूलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति मीना निवासी कोटवालो का बास तहसील बसवा, हाल निवासी आनंद विहार कॉलोनी वार्ड नं. 39 बांदीकुई तहसील बांदीकुई, जिला दौसा (राज.)

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बॉदीकुई जिला दौसा।

" प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.लैण्ड रेवन्यु एक्ट"

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 170 पुराना 18 के आराजी खसरा नं. 509 रकबा 0.49 हैक्टे., खसरा नं. 853 / 505 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा नं. 855 / 508 रकबा 0.18 हैक्टे. कुल किता 03 कुल रकबा 0.88 हैक्टे. वाके ग्राम नांगल झामरवाडा तहसील बांदीकुई में स्थित है। दिनांक 12.12.2025 को विभाजन हो चुका है। विभाजन पश्चात् उपरोक्त भूमि प्रार्थी के हिस्से में आ गयी है। उक्त भूमि के स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) नहीं होने के कारण काश्त के समय सीमाओं को लेकर विवाद होने की संभावना बनी रहती है। पत्थरगढी नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की स्थायी सुरक्षा दीवार भी नहीं कर पा रहा है। जिसके कारण आवारा जानवर प्रार्थी की फसल को नष्ट कर देते है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान भी उठाना पडता है। इस कारण न्यायाहित में प्रार्थी की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन एवं इंसाफन न्यायोचित है। दिनांक 18.06.2025 को खसरा नं. 509 का सीमाज्ञान किया जा चुका है। भूमि मुतदाविया न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश कर अर्ज है कि आराजी खसरा नं. 509, 853 / 505, 855 / 508 कुल किता 03 कुल रकबा 0.88 हैक्टे. वाके ग्राम नांगल झामरवाडा पटवार हल्का नांगल झामरवाडा के पत्थरगढी के आदेश तहसीलदार बांदीकुई को प्रदान करें।

प्रार्थी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई को रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत् निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांक भू.अ. / 2025 / 9690 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बांदीकुई ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि ग्राम नांगल झामरवाडा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 170 के आराजी खसरा नं. 509 रकबा 0.49 हैक्टे., खसरा नं. 853 / 505 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा नं. 855 / 508 रकबा 0.18 हैक्टे. कुल किता 03 कुल रकबा 0.88 हैक्टे. की खातेदारी बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति मीना सा. देह खातेदार के नाम

दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के वर्तमान में उपरोक्त खसरा नंबरों पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नही है। खसरा नं. 509 रकबा 0.49 हैक्टे. का सीमाज्ञान दिनांक 18.06.2025 को किया जा चुका है तथा खसरा नं. 853/505 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा नं. 855/508 रकबा 0.18 हैक्टे. पर खातेदार का कब्जा नहीं है। इन खसरा नंबरों पर अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा है। इस कारण उक्त खसरा नंबरों का सीमाज्ञान भी नहीं किया गया था। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थी को एल.आर.एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, सीमाज्ञान पर्चा मौका वाके ग्राम नांगल झामरवाडा तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/9690 दिनांक 27.10.2025 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 170 पुराना 18 के आराजी खसरा नं. 509 रकबा 0.49 हैक्टे., वाके ग्राम नांगल झामरवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा की मुताबिक सीमाज्ञान पर्चा मौका वाके ग्राम नांगल झामरवाडा दिनांकः 18.06.2025 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू.अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

[signature] 12/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner